

(B)

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART I—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 1, 1970/फाल्गुन 10, 1891

No. 41]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 1, 1970/PHALGUNA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 1st March 1970

G.S.R. 322.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 104-Customs, dated 6th June, 1966, namely:—

In the Table annexed to the said notification, the following Serial numbers and the entries relating thereto shall be omitted, namely:—

Serial Nos. 65, 71, 74, 85, 86, 135, 136, 147, 148, 227, 231, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 266, 269, 270, 271, 273, 279, 280, 281, 282, 284, 310, 312, 319, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 346 and 349.

[No. 16/F.No. Bud (Cus)/70.]

G.S.R. 323.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under the Item of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of the duty leviable at—

- (a) the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, where the standard rate of duty is leviable, and
 (b) the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

TABLE

Serial No.	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Standard rate of duty	Preferential rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	27	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
2.	27(8)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
3.	47(8)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
4.	50(3)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
5.	64(1)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
6.	64(4)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	25 per cent. <i>ad valorem</i>
7.	65(a)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
8.	65(b)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
9.	65(1)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
10.	66(2)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
11.	67	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
12.	67(1)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
13.	67(2)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
14.	67(4)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
15.	68	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
16.	68(2)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
17.	68(2A)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
18.	68(3)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
19.	68(4)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
20.	69	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
21.	69(1)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
22.	69(2)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
23.	70(4)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
24.	70(7)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
25.	70(8)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
26.	70(9)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
27.	71(5)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
28.	71(8)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	
29.	71(12)	35 per cent. <i>ad valorem</i>	

(1)	(2)	(3)	(4)
30. 72	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
31. 72(1)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
32. 72(2)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
33. 72(3)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
34. 72(4)(b)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
35. 72(13)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
36. 72(14)(a)(i)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
37. 72(14)(a)(ii)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
38. 72(14)(a)(iii)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
39. 72(14)(b)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
40. 72(39)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
41. 73(3)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
42. 73(7)(a)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
43. 73(19)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
44. 74(a)	.	.	25 per cent. <i>ad valorem</i>
45. 74(b)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
46. 74(1)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
47. 74(2)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
48. 74(3)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
49. 76(1)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
50. 76(2)	.	.	35 per cent. <i>ad valorem</i>
51. 75(16)	.	.	60 per cent. <i>ad valorem</i>

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption given under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the standard rate of duty, or, as the case may be, the preferential rate of duty in respect of the goods referred to in this notification.

[No. 17/F.No. Bud (Cus)/70.]

G.S.R. 324.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 1-Customs dated the 1st January, 1967 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under the Items of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of the duty mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1	70(2)	35 per cent. <i>ad valorem</i> .
2	70(3)	50 per cent. <i>ad valorem</i> .
3	72(12)	50 per cent. <i>ad valorem</i> .
4	72(34)	35 per cent. <i>ad valorem</i> .
5	72(40)(a)	35 per cent. <i>ad valorem</i> .
6	72(40)(b)	35 per cent. <i>ad valorem</i> .

[No. 18/F. No. Bud (Cus)/70.]

G.S.R. 325.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 44-Customs dated the 1st March, 1969, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column (4), against serial Numbers 2 and 4, for the figures and words "27½ per cent. *ad valorem*", the figures and words "35 per cent. *ad valorem*" shall be substituted.

[No. 19/F.No. Bud (Cus)/70.]

G.S.R. 326.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Revenue Division) or in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Company Law) or in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Serial No.	Notification Number and date	Amendment
(1)	(2)	(3)

- 1 45-Customs, dated the 23rd October, 1948. In the Schedule annexed to the said notification, in the third column against Serial Nos. 4 and 5 for the figures and words "27½ per cent. *ad valorem*", the figures and words "35 per cent. *ad valorem*" shall be substituted.

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

- | | | |
|---|---|--|
| 2 | 167-Customs, dated the 15th October, 1955 | |
| | 127-Customs, dated the 1st December, 1956 | |
| | 93-Customs, dated the 16th May, 1957 | |
| | 95-Customs, dated the 16th May, 1957 | |
| | 209-Customs, dated the 18th September, 1957 | |
| | 307-Customs, dated the 21st December, 1957 | |
| | 308-Customs, dated the 21st December, 1957 | |
| | 25-Customs, dated the 22nd January, 1958 | |
| | 46-Customs, dated the 15th February, 1958 | |
| | 48-Customs, dated the 15th February, 1958 | |
| | 141-Customs, dated the 10th May, 1958 | |
| | 142-Customs, dated the 10th May, 1958 | |
| | 143-Customs, dated the 10th May, 1958 | |
| | 149-Customs, dated the 10th May, 1958 | |
| | 150-Customs, dated the 10th May, 1958 | |
| | 257-Customs, dated the 11th October, 1958 | |
| | 61-Customs, dated the 18th June, 1960 | |
| | 196-Customs, dated the 7th August, 1963 | |
| | 26-Customs, dated the 12th March, 1960 | |
| | 213-Customs, dated the 10th September, 1963 | |
| | 6-Customs, dated the 1st February, 1964 | |
| | 9-Customs, dated the 8th February, 1964 | |
| | 57-Customs, dated the 1st April, 1964 | |
| | 80-Customs, dated the 13th May, 1964 | |
| | 13-Customs, dated the 8th January, 1966 | |

In each of the said notifications for the figures and words "27½ per cent. *ad valorem*", the figures and words "35 per cent. *ad valorem*" shall be substituted.

- | | | |
|---|---|--|
| 3 | 124-Customs, dated the 1st December, 1956 | |
|---|---|--|

In the Schedule annexed to the said notification, for the figures and words "27½ per cent. *ad valorem*" and "17½ per cent. *ad valorem*" wherever they occur, the figures and words "35 per cent. *ad valorem*" and "25 per cent. *ad valorem*" respectively shall be substituted.

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 4 | 79-Customs, dated the 16th June, 1962 | |
|---|---------------------------------------|--|

For the figures and words "17½ per cent. *ad valorem*" and "27½ per cent. *ad valorem*", the figures and words "25 per cent. *ad valorem*" and "35 per cent. *ad valorem*" shall respectively be substituted.

- | | | |
|---|---|--|
| 5 | 115-Customs, dated the 21st April, 1963 | |
|---|---|--|

(i) For the figures and words "27½ per cent. *ad valorem*" occurring in column (4) against each of the Serial Nos. 1 to 6(i) of the Table annexed to the said notification, the figures and words "35 per cent. *ad valorem*" shall be substituted; and

(1)

(2)

(3)

(ii) For the figures and words "27½ per cent. *ad valorem*" and "17½ per cent. *ad valorem*" occurring respectively in columns (4) and (5) against Serial Nos. 6(ii) to 8 of the said Table, the figures and words "35 per cent. *ad valorem*" and "25 per cent. *ad valorem*" shall respectively be substituted.

6 141-Customs, dated the 17th October, 1964

(i) For the figures and words "27½ per cent. *ad valorem*" occurring in column (4) against each of the Serial Nos. 1, 2, 4, 5(b), 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Table annexed to the said notification, the figures and words "35 per cent. *ad valorem*" shall be substituted; and

(ii) For the figures and words "27½ per cent. *ad valorem*" and "17½ per cent. *ad valorem*" occurring respectively in columns (4) and (5) against Serial Nos. 3, 5(a), 7 and 19 of the said Table, the figures and words "35 per cent. *ad valorem*" and "25 per cent. *ad valorem*" shall respectively be substituted.

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption given under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the standard rate of duty, or, as the case may be, the preferential rate of duty in respect of any of the goods referred to in the notifications specified in the above Table.

[No. 20/F.No. Bud (Cus)/70.]

G.S.R. 327.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Serial No.	Notification Number and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	65-Customs, dated 26th February, 1969	For the figures and words "27½ per cent. <i>ad valorem</i> ", the figures and words "35 per cent. <i>ad valorem</i> " shall be substituted.
2	10-Customs, dated 11th February, 1967	For the figures and words "27½ per cent. <i>ad valorem</i> ", the figures and words "35 per cent. <i>ad valorem</i> ", shall be substituted.
3	23-Customs, dated 25th January, 1969	For the figures and words "27½ per cent. <i>ad valorem</i> ", the figures and words "35 per cent. <i>ad valorem</i> " and for the figures and words "17½ per cent. <i>ad valorem</i> ", the figures and words "25 per cent. <i>ad valorem</i> " shall be substituted.

[No. 21/F.No. Bud (Cus)/70.]

G.S.R. 328.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts backing paper and backing board imported into India for the manufacture of coated abrasives from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of 35 per cent. *ad valorem*;

Provided that the importer shall, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, bind himself to pay on demand in respect of such quantity of the backing paper and backing board as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1970.

[No. 22/F.No. Bud (Cus)/70.]

G.S.R. 329.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under the Item of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs (which is specified in the aforesaid First Schedule) leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rate specified in the corresponding entry in column (4) thereof.

THE TABLE

Serial Number	Name of the article	Item No. of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Reciprocating pumps	72	27½ per cent. <i>ad valorem</i> .
2	Air compressors	72	27½ per cent. <i>ad valorem</i> .
3	Centrifugal pumps	72	27½ per cent. <i>ad valorem</i> .
4	Automatic weighing machines (excluding laboratory)	72	27½ per cent. <i>ad valorem</i> .
5	Cotton combing machinery	72(1)	27½ per cent. <i>ad valorem</i> .
6	Cotton winding machinery	72(1)	27½ per cent <i>ad valorem</i> .
7	Component parts of boilers as are essential for the working of boilers and have been given for that purpose some special shape or quality which would not be essential for use for any other purpose.	72(3)	27½ per cent. <i>ad valorem</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)
8	Component parts of centrifugal pumps, as are essential for the working of centrifugal pumps and have been given for that purpose some special shape or quality which would not be essential for use for any other purpose.	72(3)	27½ per cent. <i>ad valorem</i> .

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption from duty given under any other notification of the Government of India for the time being in force in respect of the goods referred to in this notification.

[No. 23/F.No. Bud (Cus)/70.]

G.S.R. 330.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Revenue Division) or in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Company Law) or in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) as the case may be, specified in column (2) of the Schedule hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said schedule.

THE SCHEDULE

Serial No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	42-Customs, dated the 31st May, 1953	In the Schedule annexed to the said notification, in column (3), for the figures and words "42½ per cent. <i>ad valorem</i> " wherever they occur, the figures and words "52½ per cent. <i>ad valorem</i> " shall be substituted.
2	196-Customs, dated the 24th December, 1955 193-Customs, dated the 24th December 1955 249-Customs, dated the 1st January, 1964	For the figures and words "42½ per cent. <i>ad valorem</i> ", the figures and words "52½ per cent. <i>ad valorem</i> " shall be substituted.
3	85-Customs, dated the 26th June, 1962	In the Schedule annexed to the said notification, in column (2) against Serial No. 7, for the figures "87" the figures and brackets "82(3)" shall be substituted.
4	91-Customs, dated the 6th June, 1964	In the Schedule annexed to the said notification, in the second column, against Serial Nos. 2 and 3, for the figures "87" the figures and brackets "82(3)" shall be substituted.
5	69-Customs, dated the 15th June, 1958	In the TABLE annexed to the said notification, in column 3, against Sl. No. 95, for the figures and brackets "82(4)", the figures and brackets "82(3)" shall be substituted.
6	2-Customs, dated the 1st January, 1970	In the TABLE annexed to the said notification Sl. No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 24/F. No. Bud. (Cus.)/70.]

G.S.R. 331.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or, as the case may be, the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely:—

No. 129-Customs, dated the 20th August, 1965.

No. 24-Customs, dated the 1st March, 1968.

No. 4-Customs, dated the 1st January, 1969.

[No. 25/F. No. Bud. (Cus)/70.]

G.S.R. 332.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from the special duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 29 of the Finance Bill, 1970 which sub-clause has, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law.

[No. 26/F. No. Bud. (Cus.)/70.]

G.S.R. 333.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 49-Customs, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for Serial No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“2	Jute canvas, jute webbings, jute tarpaulin cloth and manufactures thereof.	Rs. 200 per tonne.”

[No. 27/F. No. Bud. (Cus.)/70.]

G.S.R. 334.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 86-Customs dated 7th August, 1967 and 50-Customs dated the 1st March, 1969, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Tea falling under Item No. 5 of the Second Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when exported from India from the whole of the duty of customs leviable thereon under the second mentioned Act.

[No. 28/F. No. Bud. (Cus.)/70.]

G.S.R. 335.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 129-Customs, dated the 6th September, 1969, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under the item or items of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), specified in column (2) of the said Table when imported into India and proved to the satisfaction of the proper officer of customs to be required for permanent fitment on aircrafts (other than aeroplanes) from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the duty leviable at:—

(a) the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, where the standard rate of duty is leviable, and

(b) the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

TABLE

Serial No.	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Description of goods	Standard rate of duty	Preferential rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	73(4)	Complete wireless receivers.	35 per cent <i>ad valorem</i>	29 per cent <i>ad valorem</i>
2.	72(35) 72(37) }	Ball and roller bearings.	35 per cent. <i>ad valorem</i> .	

[No. 29/F. No. Bud. (Cus.)/70.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1970

सां. कां. निं. 322 :—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 104-सीमा-शुल्क, तारीख 6 जून, 1966 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

क. 7. 1. 1.

उक्त अधिसूचना में उपाखण्ड सारणी में, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और उन से सम्बन्धित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी, अर्थात्—

क्रम संख्याएं 65, 71, 74, 147, 148, 227, 231, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 266, 269, 270, 271, 273, 279, 280, 281, 282, 284, 310, 312, 319, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 346, 349, 85, 86, 135, 136, 326, और 327 ।

[सं. 16/कां. सं. बजट(सी.शु.)/70]

सांका०नि० 323.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की उन मदों के, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को, जब भारत में उसका आयात किया जाता हो, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग में, जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, एतद्वारा छूट देती है, जितना

(क) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर, जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय हो वहां,

(ख) उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर, जहां अधि-मानी दर उद्ग्रहणीय है वहां,

उद्ग्रहणीय दर से अधिक हो

सारणी

क्रम संख्या	भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची में की मद संख्या	शुल्क की मानक दर	शुल्क की अधिमानी दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	27 . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
2	27(8) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
3	47(8) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
4	50(3) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
5	64(1) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
6	64(4) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	25 प्रतिशत मूल्यानुसार
7	65(क) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
8	65(ख) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
9	65(1) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
10	66(2) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
11	67 . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
12	67(1) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
13	67(2) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
14	67(4) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
15	68 . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
16	68(2) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	
17	68(2-क) . . .	. 35 प्रतिशत मूल्यानुसार	

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

18	68(3)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
19	68(4)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
20	69	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
21	69(1)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
22	69(2)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
23	70(4)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
24	70(7)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
25	70(8)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
26	70(9)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
27	71(5)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
28	71(8)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
29	71(12)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
30	72	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
31	72(1)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
32	72(2)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
33	72(3)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
34	72(4) (ख)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
35	72(13)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
36	72(14) (क) (i)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
37	72(14) (क) (ii)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
38	72(14) (क) (iii)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
39	72(14) (ख)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
40	72(39)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
41	73(3)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
42	73(7) (क)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
43	73(19)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
44	74(क)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
45	74(ख)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
46	74(1)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
47	74(2)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
48	74(3)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
49	76(1)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
50	76(2)	.	.	.	35 प्रतिशत मूल्यानुसार

सा० का० नि० 324:—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 1—सीमाशुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1967 को अधि-क्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मदों के, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को, जब भारत में उसका आयात किया जाता हो, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती हैं जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम संख्या	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची मद संख्या	शु क की दर
(1)	(2)	(3)
1	70(2)	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
2	70(3)	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
3	72(12)	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
4	72(34)	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
5	72(40) (क)	35 प्रतिशत मूल्यानुसार
6	72(40) (ख)	35 प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 18/फा० सं० बजट (सी० पु०)/70]

सा० का० नि० 325:—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 44—सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 में निम्न-लिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना स उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ 4 में, क्रम संख्याओं 2 और 4 के सामने, “27½ प्रतिशत मूल्यानुसार” श्रंकों और शब्दों के लिए “35 प्रतिशत मूल्यानुसार” श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 19/फा० सं० बजट (सी० शु०)/70]

सा० का० नि० 326.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व खंड) की या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की या वित्त मंत्रालय (राजस्व और कम्पनी विधि विभाग) की या वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाएं जो इस से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति संशोधित या और भाग संशोधित की जाएंगी।

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	45—सीमाशुल्क, तारीख 23 अक्तूबर, 1948	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में मद संख्याओं 4 और 5 के सामने तीसरे स्तम्भ में, “27½ प्रतिशत मूल्यानुसार” श्रंको और शब्दों के लिए “35 प्रतिशत मूल्यानुसार” श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2	167—सीमाशुल्क, तारीख अक्तूबर, 1955	उक्त प्रत्येक अधिसूचना में “27½ प्रतिशत मूल्यानुसार” श्रंको और शब्दों के लिए “35 प्रतिशत मूल्यानुसार” श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
	127—सीमाशुल्क, तारीख दिसम्बर, 1956	
	93—सीमाशुल्क, तारीख मई, 1957	
	95—सीमाशुल्क, तारीख मई, 1957	
	209—सीमाशुल्क, तारीख सितम्बर, 1957	
	307—सीमाशुल्क, तारीख दिसम्बर, 1957	
	308—सीमाशुल्क, तारीख दिसम्बर, 1957	

(1)	(2)	(3)
25—सीमाशुल्क, तारीख, जनवरी, 1958	22	
46—सीमाशुल्क तारीख फरवरी, 1958	15	
48—सीमाशुल्क, तारीख फरवरी, 1958.	15	
141—सीमाशुल्क, तारीख मई, 1958	10	
142—सीमाशुल्क, तारीख मई, 1958	10	
143—सीमाशुल्क, तारीख] मई, 1958	10	
149—सीमा शुल्क, तारीख मई, 1958	10	
150—सीमाशुल्क, तारीख ! मई, 1958	10	
257—सीमाशुल्क, तारीख अक्तूबर, 1958	11	
61—सीमाशुल्क, तारीख जून, 1960	18	
196—सीमाशुल्क, तारीख अगस्त, 1963	7	
213—सीमाशुल्क, तारीख सितम्बर, 1963	10	
6—सीमाशुल्क, तारीख फरवरी, 1964	1	
57—सीमाशुल्क, तारीख अप्रैल, 1964	1	
26—सीमाशुल्क, तारीख मार्च, 1960	12	
80—सीमाशुल्क, तारीख मई, 1964	13	
9—सीमाशुल्क, तारीख फरवरी, 1964	8	
13—सीमाशुल्क, तारीख जनवरी, 1966	8	

(1)

(2)

(3)

- 3 121—सीमाशुल्क, तारीख 1 उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में "27½ प्रतिशत मूल्यानुसार" और "17½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए, जहाँ कहीं वे आते हैं, क्रमशः "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" और "25 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 4 79—सीमाशुल्क, तारीख 16 "17½ प्रतिशत मूल्यानुसार" और "27½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए क्रमशः "25 प्रतिशत मूल्यानुसार" और "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 5 115—सीमाशुल्क, तारीख 21 (i) उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी की 1 से लेकर 6(i) तक की क्रम संख्याओं में से प्रत्येक के सामने स्तम्भ (4) में उल्लिखित "27½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ; और
- (ii) उक्त सारणी की 6(ii) से लेकर 8 तक की क्रम संख्याओं के सामने क्रमशः स्तम्भ (4) और (5) में उल्लिखित "27½ प्रतिशत मूल्यानुसार" और "17½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए क्रमशः "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" और "25 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(1)	(2)	(3)
6 141—सीमाशुल्क, तारीख 17 अक्तूबर, 1964	(i)	उक्त अधिसूचना से उपायद्ध सारणी की संख्याओं, 1, 2, 4, 5(ख), 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के सामने स्तम्भ (4) में उल्लिखित "27½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रृंखों और शब्दों के लिए "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रृंख और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और
	(ii)	उक्त सारणी की क्रम संख्याओं 3, 5(क), 7 और 19 के सामने क्रमशः स्तम्भ (4) और (5) में उल्लिखित "27½ प्रतिशत मूल्यानुसार" और "17½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रृंखों और शब्दों के लिए क्रमशः "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" और "25 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रृंख और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अधीन, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट किसी माल की बाबत, यथास्थिति, कर की मानक दर से या कर की अधिमानी दर से दी गई छूट पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[सं० 20/फा० सं० बजट (सी० शु०) /70]

सा० फा० नि० 327.—सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाएँ जो इससे उपायद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी ।

सारणी

क्रम संख्या	सीमा-शुल्क की अधिसूचनाओं की संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	65-सीमाशुल्क तारीख 26 फरवरी 1969	"27½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2.	10-सीमाशुल्क तारीख 11 फरवरी 1967	"27½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3.	23-सीमाशुल्क तारीख 25 जनवरी 1969	"27-½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए "35 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द और "17½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए "25 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 21/फा० सं० 09 बजट (सी० शु०) /70]

सं० का० नि० 328:—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, लिपित अपर्षियों के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किए गए बैंकिंग पेपर और बैंकिंग बोर्ड को उस पर उद्ग्रहणीय भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उतने सीमा-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना 35 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो :

परन्तु आयातकर्ता ऐसे प्रपत्र में और ऐसी धन-राशि के लिए जो सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर द्वारा विहित की जाए, एक बन्ध पत्र निष्पादित करके अपने को इस बात के लिए आबखूदा करेगा कि वह बैंकिंग पेपर और बैंकिंग बोर्ड की उतनी मात्रा की बाबत जितनी बार में सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित न हो सका हो कि वह उपर्युक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई गई थी मांग की जाने पर उतनी रकम देगा जितनी ऐसी मात्रा पर उसमें अन्तर्विष्ट छूट के अभाव में उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही दिए जा चुके शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

2. यह अधिसू. ना 31 दिसम्बर, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 22/फा० सं० बजट (सी० शु०) /70]

सा० का० नि० 329:—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की उस मद में, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को जब भारत में उनका आयात किया जाता हो, उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा-शुल्क से एतद्वार छूट देती है (जो पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है) जितना उसके स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रत्यागामी	72	27½ प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	वायु संपीडक	72	27½ प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प	72	27½ प्रतिशत मूल्यानुसार
4.	स्वतः चालित तोल मशीनें (प्रयोगशाला की तोल मशीनें अपवर्जित करते हुए)	72	27½ प्रतिशत मूल्यानुसार
5.	काटन कूम्बिंग मशीनरी	72 (1)	27½ प्रतिशत मूल्यानुसार
6.	काटन बार्डिन्डिंग मशीनरी	72 (1)	27½ प्रतिशत मूल्यानुसार
7.	बायलरों के संघटक भाग जो बायलरों के कार्यचालन के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें उस प्रयोजन के लिए कोई ऐसी विशेष आकृति या क्वालिटी का बनाया गया है जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने के निमित्त आवश्यक नहीं होगी।	72 (3)	27½ प्रतिशत मूल्यानुसार

(1)

(2)

(3)

8. सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के संघटक भाग, 72 (3) 27½ प्रतिशत मूल्यानुसार जो सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के कार्यचालन के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें उस प्रयोजन के लिए ऐसी विशेष आकृति या क्वालिटी का बनाया गया है जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने के निमित्त आवश्यक नहीं होगी ।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अधीन उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल की बाबत शुल्क से दी गई छूट पर प्रभाव नहीं डालगी ।

[सं० 23/फा० सं० बजट (सी० शु०) /70]

सा० फा० नि० 330:—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के, यथास्थिति वित्त मंत्रालय (राजस्व खंड) की या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की, या वित्त मंत्रालय (राजस्व और कम्पनी विधि विभाग) की या वित्त मंत्रालय राजस्व और बीमा विभाग की अधिसूचनाएं जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएंगी ।

अनुसूची

क्रम
संख्या

अधिसूचना संख्या और तारीख

संशोधन

(1)

(2)

(3)

1. 42-सीमाशुल्क तारीख 31 मई 1953 उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में स्तम्भ (3) में "42½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के लिए जहां कहीं वे पाते हैं "52½ प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(1)	(2)	(3)
2.	198—सीमाशुल्क, तारीख 24 दिसम्बर, 1955 196—सीमाशुल्क, तारीख 24 दिसम्बर, 1955 249—सीमाशुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1964	“42½ प्रतिशत मूल्यानुसार” श्रृंखलाओं और शब्दों के लिए “52½ प्रतिशत मूल्यानुसार” श्रृंखलाओं और शब्दों प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3.	86—सीमाशुल्क, तारीख 26 जून, 1962	अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम संख्या 7 के सामने स्तम्भ (2) में “87” श्रृंखला के लिए “82 (3)” श्रृंखला और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4.	91—सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 1964	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में दूसरे स्तम्भ में, क्रम संख्याओं 2 और 3 के सामने “87” श्रृंखला के लिए “82 (3)” श्रृंखला और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5.	69—सीमाशुल्क, तारीख 15 जून, 1968	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में स्तम्भ (3) में, क्रम संख्या 95 के सामने “82 (4)” श्रृंखलाओं और कोष्ठक के लिए “82 (3)” श्रृंखला और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6.	2—सीमाशुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1970	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में — क्रम संख्या 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी।

[सं० 24/फा० सं० बजट (सी० शु०)/70]

सा० का० नि० 331:—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की या वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाएं एतद्वारा विखण्डित करती है, अर्थात् :—

सं० 129—सीमाशुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1965

सं० 24—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1968

सं० 4—सीमाशुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1969।

[सं० 25/फा० सं० बजट (सी० शु०)/70]

सा० का० नि० 332 :—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को, वित्त विधेयक के खंड के उपखंड (1) के अधीन, जो उपखंड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उस पर उद्ग्रहणीय विशेष सीमाशुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 26/फा० सं० बजट (सी० शु०)/70]

सा० का० नि० 333 :—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 49—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन किया जाएगा, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)
“2.	पटसन की किरमिच पटसन की पट्टियाँ पटसन की त्रिपाल और उनकी विनिर्मितियाँ	200 रु० प्रति टन

[सं० 27/फा० सं० बजट (सी० शु०)/70]

सा० का० नि० 334 :—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना, संख्या 86—सीमाशुल्क, तारीख 7 अगस्त 1967 और 50—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की द्वितीय अनुसूची की मद 5 के अन्तर्गत आने वाली चाय को, जब उसका भारत से निर्यात किया जाता हो, ऊपर वर्णित द्वितीय अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त शुल्क से छूट देती है।

[सं० 28/फा० सं० बजट (सी० शु०)/70]

सा० क्र० नि० 335 :—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 129—सीमा शुल्क, तारीख 6 सितम्बर, 1961 की अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट माल को, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की उस मद या उन मदों के अन्तर्गत आते हैं जो उक्त सारणी के 2 स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हैं, जब भारत में उसका आयात किया जाए और सीमा-शुल्क के समुचित अधिकारी के संतोषप्रद रूप में यह साबित हो जाए कि वह माल (हवाई जहाजों से भिन्न) विमानों पर स्थायी रूप से फिट किए जाने के लिए अपेक्षित है, उस पर उद्ग्रहणीय उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उतने सीमा-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है जितना —

(क) उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से—
जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है वहां—उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है,
और

(ख) उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से—
जहां शुल्क की अधिमानी पर उद्ग्रहणीय है वहां—उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम संख्या	भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची में मद संख्या	माल का वर्णन	शुल्क की मानक दर	शुल्क की अधिमानी दर
-------------	--	--------------	------------------	---------------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1.	73(4)	पूर्ण वायरलेस रिसेवर	35 प्रतिशत मूल्यानुसार	29 प्रतिशत मूल्यानुसार
----	-------	----------------------	------------------------	------------------------

1	2	3	4	5
2.	72(35)		बाल ग्रीर रोलर	35 प्रतिशत
	72(37)		बियरिंग	मूल्यानुसार

[सं० 29/फा० सं० बजट (सी० शु०)/70]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव ।